अत्यावश्यक
नगरपालिका उप चुनाव, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–न0नि0 50–25/2023–281

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक –21 जनवरी, 2024

विषय :– नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 : निर्वाचित पार्षदों का नाम राजकीय गजट में प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग :– आयोग का पत्रांक 280 दिनांक 21.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 35 के अंतर्गत नगरपालिका के पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ही नगरपालिका की प्रथम बैठक संपन्न की जानी है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में शीघ्रताशीघ्र प्रकाशित हो जाय।

उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 जिलान्तर्गत कुल 16 नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएँ दिनांक 24.01.2024 को पूरी कर ली जाएगी। नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों एवं मुख्य पार्षद को शपथ कराया जाना है। आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मतगणना संपन्न होने के अगले दिन निकायवार निर्वाचित पार्षदों एवं मुख्य पार्षद का नाम नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने एवं उसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि विभाग द्वारा निर्वाचित पार्षदों एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में ससमय प्रकाशित किया जा सके एवं उनका शपथ कराया जा सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 87 के आलोक में नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों एवं मुख्य पार्षद का नाम **यथाशीघ्र अधिकतम दिनांक 05.02.2024 तक** राजकीय गजट में प्रकाशित कर उसकी प्रति आयोग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(ह0) 21/01/24
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–25/2023– 281 पटना, दिनांक–21 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका) पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सितामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 21/01/24
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–25/2023–281 पटना, दिनांक–21 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 21/01/24
सचिव।

21.1.24